[2020] 5 एस. सी. आर 718

भारत की औषधि परिषद

वी.

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ

इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड ऑर्स। ईटीसी।

(हस्तांतरित मामला (सिविल) सं। 213-227 2020 का)

05 मार्च, 2020

[अरुण मिश्रा, वाइन सरन और एम. आर. शाह, जे. जे।]

फार्मेसी अधिनियम, 1948-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987-फार्मेसी अधिनियम, 1948 या ए. आई. सी. टी. ई. फार्मेसी के विषय के संबंध में अधिनियम, 1987 जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों की मंजूरी, फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण, भविष्य के व्यावसायिक आचरण का विनियमन आदि शामिल हैं। आयोजित किया गयाः फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के क्षेत्र में एक विशेष अधिनियम है और यह फार्मेसी के क्षेत्र में अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, फार्मेसी अधिनियम एआईसीटीई अधिनियम पर प्रबल होगा जो तकनीकी से संबंधित एक सामान्य कानून है।

शिक्षा/संस्थान-एआईसीटीई अधिनियम में कोई विशिष्ट निरसन नहीं है।

फार्मेसी अधिनियम, विशेष रूप से जब फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और उसके बाद ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का अधिनियमन सामान्य है और इसलिए फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण प्रभावी होना चाहिए।

फार्मेसी अधिनियम, 1948-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987-फार्मेसी के क्षेत्र में, पीसीआई के पास एआईसीटीई अधिनियम के तहत गठित अधिकार क्षेत्र या एआईसीटीई होगा - पी. सी. आई. में फार्मेसी और फार्मेसी की शिक्षा से जुड़े संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं-दूसरी ओर, जहां तक ए. आई. सी. टी. ई. का संबंध है, केवल एक सदस्य फार्मेसी के क्षेत्र से होगा और वह भी पी. सी. आई. का प्रतिनिधि-इन परिस्थितियों में पी. सी. आई. फार्मेसी और संबंधित विषयों के विषय से जुड़े विशेषज्ञों का निकाय है और इसलिए यह व्यापक हित में और विशेष रूप से फार्मेसी की शिक्षा के हित में होगा कि पी. सी. आई. के पास ए. आई. सी. टी. ई. के बजाय फार्मेसी के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र होगा-इसके अलावा, पी. सी. आई. और ए. आई. सी. टी. ई. दोनों कानून का हिस्सा हैं-दोनों नियामकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ संस्थानों के लिए भी अस्वस्थ है जो दो की अनुमति देते हैं।

718 भारत की फार्मेसी परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी का

उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियामक-इसलिए, जब पीसीआई में फार्मेसी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं

विषयों में, यह फार्मेसी के क्षेत्र में व्यापक हित में है कि पीसीआई को फार्मेसी के क्षेत्र में विनियमन करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः चाहे पी. सी. आई. का आदेश हो या

ए. आई. सी. टी. ई. फार्मेसी के संचालन के लिए किसी भी संस्थान को अनुमोदन और संबंधित मामलों को देने के सवाल पर प्रबल होगा।

शिक्षा पाठ्यक्रम, यदि इन दोनों निकायों की राय में कोई संघर्ष/विरोधाभास है। 1. फार्मेसी अधिनियम, 1948 की प्रस्तावना के अनुसार, फार्मेसी अधिनियम लागू किया गया है ताकि फार्मेसी के लिए बेहतर प्रावधान किया जा सके।

फार्मेसी के पेशे और व्यवहार का विनियमन और उस उद्देश्य के लिए फार्मेसी परिषदों का गठन करना। यदि यह न्यायालय विचार करता है फार्मेसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में पाठ्यक्रमों की मंजूरी, पाठ्यक्रम की सामग्री निर्धारित करना, छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए पात्रता की शर्तें, परीक्षा के मानकों का मूल्यांकन, पंजीकरण का अनुदान, उच्च योग्यता का प्रवेश, किसी भी कुख्यात आचरण के लिए कार्रवाई करना आदि शामिल हैं। द.

फार्मेसी अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान धारा 10,12,13,16,29,32,35,36 और 42 हैं। [पारस 12 और 13] [732-सी-डी; 740-बी-सी]

2. फार्मेसी अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पी. सी. आई. ने न्यूनतम निर्धारित करने के लिए कई नियम बनाए हैं शिक्षा के मानकों के साथ-साथ विषय को विनियमित करना

भारत में फार्मेसी, जिनमें शामिल हैंः

ए। शिक्षा विनियम, 1991;

बी। फार्म। डी विनियम, 2008;
सी। फार्मेसी में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ

संस्थान विनियम, 2014;

डी। बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm) पाठ्यक्रम विनियम,

2014 ;

ई. मास्टर ऑफ फार्मेसी (M.Pharm) पाठ्यक्रम विनियम,

; [2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. बैचलर ऑफ फार्मेसी (प्रैक्टिस) विनियम, 2014;

जी। फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015।

फार्मेसी अधिनियम, विशेष रूप से, ऊपर उल्लिखित प्रावधान, फार्मेसी अधिनियम विशेष रूप से पाठ्यक्रमों की मंजूरी, पाठ्यक्रम सामग्री निर्धारित करने, छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए पात्रता शर्तों, परीक्षा के मूल्यांकन मानकों, पंजीकरण अनुदान, उसी विषय में उच्च योग्यताओं का प्रवेश, कुख्यात आचरण के लिए कार्रवाई आदि सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। इसमें दंड का प्रावधान भी है। इस प्रकार, फार्मेसी अधिनियम को लागू करने में विधायी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि पेशे का निर्बाध विनियमन हो। फार्मेसी अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विधानमंडल ने क़ानून के तहत स्वायत्त वैधानिक प्राधिकरण यानी भारतीय फार्मेसी परिषद की स्थापना की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फार्मेसी के क्षेत्र में फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है कानून। [पैरा 13.2] [741-डी-एच; 742-ए-बी]

3. दूसरी ओर, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को तकनीकी संस्थानों और तकनीकी संस्थानों पर लागू होने वाला एक सामान्य कानून कहा जा सकता है।

शिक्षा. यदि यह न्यायालय ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विचार करता है, तो यह विशेष रूप से कहा जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम मूल रूप से केंद्र और राज्य को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था।

समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्वीकृत मानकों के अनुसार तकनीकी शिक्षा। [पैरा 13.3] [742 - सी-डी]

4. इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को तकनीकी शिक्षा के संबंध में एक सामान्य कानून कहा जा सकता है। यह सच है।

परिभाषा में, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) के अनुसार, "तकनीकी शिक्षा" का अर्थ "फार्मेसी" भी है। [पैरा 13.3]

[744 - बी] भारत की फार्मेसी परिषद बनाम। डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी का

5. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के क्षेत्र में एक विशेष अधिनियम है और यह फार्मेसी के क्षेत्र में अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, फार्मेसी अधिनियम ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम पर प्रबल होगा, जो, जैसा कि ऊपर देखा गया है, तकनीकी शिक्षा/संस्थानों से संबंधित एक सामान्य क़ानून है।

इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. और/या संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की ओर से यह निवेदन कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम एक बाद का कानून है और "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं - " फार्मेसी "और इसलिए इसे एक" निहित निरसन "कहा जा सकता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में इसका कोई विशिष्ट निरसन नहीं है।

फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और इसके बाद ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का अधिनियमन सामान्य है और इसलिए फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण प्रबल होना चाहिए। इसके अलावा, कई पहलुओं के संबंध में, एआईसीटीई अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो हैं - विशेष रूप से पी. सी. आई. के दायरे में। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि फार्मेसी अधिनियम का 'निहित निरसन' है। [पैरा 15] [749 बी-डी]

चाहे फार्मेसी के क्षेत्र में हो, पी. सी. आई. के पास ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत गठित अधिकार क्षेत्र या ए. आई. सी. टी. ई. होगा।

एक सामान्य कानून माना जाता है। 7. पी. सी. आई. में फार्मेसी के क्षेत्र में विशेषज्ञ और फार्मेसी की शिक्षा से जुड़े संबंधित विषय शामिल हैं। इसलिए,

कानून के तहत, दवा, फार्मेसी आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति पी. सी. आई. के सदस्य होंगे। [पैरा 16] [749-ई; 750-ई]

8. दूसरी ओर, जहां तक ए. आई. सी. टी. ई. का संबंध है, केवल एक सदस्य फार्मेसी के क्षेत्र से होगा और वह भी

पी. सी. आई. के प्रतिनिधि। इन परिस्थितियों में, पी. सी. आई. फार्मेसी और संबंधित विषयों के विषय से जुड़े विशेषज्ञों का निकाय है और इसलिए यह व्यापक हित में और विशेष रूप से फार्मेसी की शिक्षा के हित में होगा कि अकेले पी. सी. आई. के पास ए. आई. सी. टी. ई. के बजाय फार्मेसी के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र होगा। [पैरा 16.1] [750-एफ]

9. उपरोक्त प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है। पी. सी. आई. और ए. आई. सी. टी. ई. दोनों ही [2020] 5 एस. सी. आर. के निर्माता हैं।

कानून। इसलिए, यह बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है कि दोनों नियामकों, दोनों केंद्रीय प्राधिकरण होने के नाते, के लिए लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

सर्वोच्चता। दोनों नियामकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ संस्थानों के लिए एक ही क्षेत्र में दो नियामकों को काम करने की अनुमति देने के लिए अस्वास्थ्यकर है। इसलिए विशेष रूप से जब पी. सी. आई. में फार्मेसी और अन्य संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं, तो यह फार्मेसी के क्षेत्र में बड़े हित में है कि पी. सी. आई. दिया जाना चाहिए।

फार्मेसी के क्षेत्र में विनियमन की शक्ति। [पैरा 17] [750-जीएच; 751-ए] 10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि फार्मेसी शिक्षा और अधिक के क्षेत्र में

विशेष रूप से जहाँ तक फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, फार्मेसी अधिनियम, 1948 प्रबल होगा। फार्मेसी अधिनियम के तहत पीसीआई और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें सेवन में वृद्धि और/या कमी के संबंध में मानदंड और विनियम शामिल हैं। छात्रों की क्षमता और पी. सी. आई. के निर्णयों का पालन केवल फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा किया जाएगा। प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है। [पैरा 21] [753 ई-एफ]

यूपीएसईबी बनाम. हरि शंकर जैन (1978) 4 एससीसी 16: [1979] 1 एस. सी. आर. 355; एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम। डी. जे. बहादुर (1981) 1 एस. सी. सी. 315 1 एस. सी. आर. 1083; याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 13 एससीसी 1: [2013] 15 एससीआर 1; आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य (1992) 1 एससीसी 335: [1991] 1 पूरक। एस. सी. आर. 387; ए. आई. सी. टी. ई. बनाम। श्री.

भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम अखिल भारतीय परिषद तकनीकी शिक्षा (2001) 8 एससीसी 676: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 253; नगर परिषद बनाम टी. जे. जोसेफ [1964] 2

एस. सी. आर. 87; बायराम प्रेस्टनजी गरीवाला बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1992) 1 एस. सी. सी. 31: [1991] 1 पूरक। एस. सी. आर. 187; नसीरुद्दीन बनाम। सीता राम अग्रवाल (2003) 2 एससीसी 577:

भारत की फार्मेसी परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्नीवाल एजुकेशन ट्रस्ट्स विदर्भ संस्थान। फार्मेसी का

[2003] 1 एस. सी. आर. 634; भारत संघ बनाम। देउकी नंदन

अग्रवाल (1992) 1 पूरक। एससीसी 323 [1991] 3 एस. सी. आर.

873 ; अजीत सिंह सिंघवी बनाम। राजस्थान राज्य (1991)

पूरक। 1 एससीसी 343: [1991] 1 एससीआर 579; अजय कुमार

बनर्जी बनाम। भारत संघ (1984) 3 एससीसी 127: [1984]

3 एस. सी. आर. 252; निजी प्रबंधन संघ

महाविद्यालय बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

(2013) 8 एस. सी. सी. 385 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 16 स्केल 421

उस पर भरोसा करें

पैरा

5.2

[2001] 3 पूरक। एससीआर 253

पैरा

5.15

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर 355

उस पर भरोसा करें

पैरा

5.17

[1981] 1 एससीआर 1083

उस पर भरोसा करें

पैरा

5.17

[2013] 15 एससीआर 1

पैरा

5.17

उस पर भरोसा करें

[1964] 2 एससीआर 87

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.19

[1991] 1 पूरक। एससीआर 187

पैरा

5.19

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 एससीआर 634

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.5

[1991] 3 एससीआर 873

पैरा

6.6।

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.7

[1984] 3 एससीआर 252

पैरा

6.7

संदर्भित किया गया है

(2013) 8 एस. सी. सी. 385

पैरा

7.1

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 पूरक। एससीआर 387

उस पर भरोसा करें

पैरा

14.5

नागरिक मूल/अपील

न्यायनिर्णयः स्थानांतरण

मामला (सिविल) सं। 213-227 2020 से।

(आदेश XXXVI-A P के साथ अनुच्छेद 139A (1) के तहत दायर याचिकाएं

आई. वी. ए)

के साथ सिविल अपील सं।
2024-2027 , 2028-2031 , 2032 , 2035 , 2036 , 203

2034 , 2037 , 2039 , 2038 , 2040 , 2041 , 2042 , 2043 2020 का, 2018 का रिट पेटिटी (सी) संख्या 926,2019 का 1501।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., मनिंदर सिंह, पी. एन. रवींद्रन, दीपक नागलकर, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित शर्मा, गोपाल झा, जी. एस. मक्कर, सुश्री सौदामिनी शर्मा, हेमंत आर्य, चाकितन वी. एस. पापटा, जोहेब

हुसैन, प्रभास बजाज, पीयूष गोयल, सुश्री अशिता चावला, अतुल शंकर, दिलीप पिल्लई, एम. पी. विनोद, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, भारत सूद, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री श्रुति जोस, ऋतुराज बिस्वास, अमितेश कुमार, सुश्री बिनिसा मोहंती, सुश्री प्रीति कुमारी, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, आदिल मुनीर अंद्राबी, मोहम्मद। इमरान पी., अमीर यूसुफ डब्ल्यू., सदाम हुसैन,

एम/एस। एस. एम. जाधव एंड कंपनी, सुधांशु एस. चौधरी, योगेश कोल्टे, महेश पी. शिंदे, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री आभा आर. शर्मा, अमोल

निर्मल कुमार सूर्यवंशी, सुश्री कुर्रतुलैन, शिवाजी एम. जाधव, बृज किशोर साह, निकोलस चौधरी, शिवम सिंह, रविकांत, मयंक मनीष, चंद्र शेखर सिंह, चंद्र प्रकाश, रोजर विल्सन

मैथ्यू, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, विल्सन थॉमस (एम. के. सिन्हा के लिए), मृत्युंजय कुमार सिन्हा, सचिन पाटिल, प्रसीत विलास सुरशे, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, जोहेब हुसैन, सौरव अग्रवाल, आशीष कुमार तिवारी, विभु अंशुमन, सुहास कदम (मेसर्स के लिए)। लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी), गौरव अग्रवाल, बिजय कुमार जैन, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री श्वेता परिहार, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री जी. उशाश्री, विष्णु तुलसी मेनन, राजीव रंजन द्विवेदी, अनिल सोनी, हरीश पांडे, अनिरुद्ध देशमुख, पी. एस. सुधीर, ऋतुराज बिस्वास, सुश्री आभा आर. शर्मा, अमोल निर्मलकुमार सूर्यवंशी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर,

एम/एस। लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी, एड. उपस्थित दलों के लिए।

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं। 87-101 2014 की अनुमति दी गई है और रिट याचिका संख्या। 3783 2013-डॉ. एस. के. तोशनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट

विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 3945-यंग इंजीनियर्स एजुकेशन सोसाइटी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय में लंबित, 2013 का डब्ल्यू. पी. संख्या 4992-द शिरपुर

एजुकेशन सोसाइटी एंड ए. एन. आर. बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 5104-श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 5150-किरण और अन्य। बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 5681-

यशोदाबाई दगडू सराफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अन्न। बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। , 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 5914-नागांव एजुकेशन सोसाइटी का इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम।

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

फार्मेसी, नागांव बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय में लंबित, 2013 का डब्ल्यू. पी. संख्या 19253-एल्डेल एजुकेशन ट्रस्ट बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 2013 का डब्ल्यू. पी. 19254-शिक्षण और कृषि विकास प्रतिष्ठान मेडशिंगी बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद। , 2013 का डब्ल्यू. पी. 19255-K.B.H.S.S. ट्रस्ट बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद। बॉम्बे में उच्च न्यायालय में लंबित, 2013 का डब्ल्यू. पी. संख्या 19887-द शिरपुर एजुकेशन सोसाइटी एंड अन्न। बनाम। महाराष्ट्र राज्य, जो औरंगाबाद की बंबई पीठ में उच्च न्यायालय में लंबित है, 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 25857-सेंट मैरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद बनाम। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। , 2013 का डब्ल्यू. पी. संख्या 26077-बी. श्रीधर और अन्य। बनाम। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। , 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 26286-सेंट मैरीज ग्रुप ऑफ संस्थान गुंटूर बनाम। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित और 2013 का डब्ल्यू. पी. 1388-काशी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बनाम। भारत संघ और अन्य। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में लंबित, लखनऊ पीठ, लखनऊ को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2. विशेष अवकाश याचिकाओं में दी गई छुट्टी।

3. जैसे-जैसे मामलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य सवाल उठता है, इन सभी मामलों का फैसला इस सामान्य समूह द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

निर्णय और आदेश।

4. इन सभी याचिकाओं में, संबंधित प्रतिवादी-कॉलेज

भारतीय फार्मेसी परिषद (जिसे इसके बाद पीसीआई के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दूसरी पाली के अनुमोदन की कार्रवाई और विभिन्न फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने पर प्रतिबंध के संबंध में शिकायत के साथ संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया। चूंकि संबंधित प्रत्यर्थी कॉलेजों ने अखिल भारतीय परिषद से प्राप्त आवश्यक अनुमति/अनुमोदन के आधार पर छात्रों के प्रवेश में वृद्धि की है

तकनीकी शिक्षा (इसके बाद ए. आई. सी. टी. ई. के रूप में संदर्भित), संबंधित उच्च न्यायालयों ने कॉलेजों को प्रवेश में वृद्धि/जारी रखने की अनुमति दी है। संबंधित उच्च न्यायालयों ने निष्कर्ष निकाला है कि ए. आई. सी. टी. ई. दो निकायों, ए. आई. सी. टी. ई. और पी. सी. आई. के बीच सर्वोच्च प्राधिकरण है और ए. आई. सी. टी. ई. का निर्णय निर्णय पर हावी होगा।

पी. सी. आई. कि, अंतरिम आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने संस्थानों को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित/अनुमति के अनुसार सेवन की बढ़ती संख्या को जारी रखने की अनुमति दी। कि, कुछ मामलों में, इस तरह के अंतरिम आदेशों को निरपेक्ष बना दिया गया है। इसलिए, यह मुद्दा [2020] 5 एस. सी. आर. के वर्तमान बैच में शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले फार्मेसी के विषय के संबंध में फार्मेसी अधिनियम, 1948 (इसके बाद फार्मेसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (इसके बाद एआईसीटीई अधिनियम के रूप में संदर्भित) की प्रयोज्यता के संबंध में हैं, जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन, फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण, भविष्य के पेशेवर आचरण का विनियमन आदि शामिल हैं।

पी. सी. आई. की प्रस्तुतियाँ

5. पी. सी. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैंः 5.1 कि फार्मेसी अधिनियम में निहित वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, जो अपने आप में फार्मेसी के विषय से संबंधित एक पूर्ण संहिता है, शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए अधिकार क्षेत्र में

फार्मेसी और फार्मासिस्टों के बाद के पेशेवर आचरण का विषय पूरी तरह से पी. सी. आई. में निहित है और ए. आई. सी. टी. ई. के पास इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है।

ए. आई. सी. टी. ई. बनाम के मामले में न्यायालय। श्री राजकुमार शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1445 = (2019) 16 स्केल 421। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उक्त मामले में, वास्तुकला परिषद के मामले में एक समान वैधानिक योजना से निपटने के दौरान

कि, उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने वास्तुकार अधिनियम, 1972 में निहित पूरी तरह से समान वैधानिक योजना पर विचार किया और इसलिए यही बात फार्मेसी अधिनियम की व्याख्या के लिए भी लागू होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फार्मेसी के मामले में भी, भारत की फार्मेसी परिषद v.

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) में "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा में "फार्मेसी" शब्द के उपयोगकर्ता पर ए. आई. सी. टी. ई. पूरी तरह से आधारित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के साथ-साथ फार्मेसी अधिनियम के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, उक्त शब्द "फार्मेसी" को एआईसीटीई अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा से हटा दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए नियामक उपायों के संबंध में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

फार्मेसी से। 5.3 कि अन्यथा भी और फार्मेसी अधिनियम के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, जो एक पूर्ण संहिता और एक विशेष कानून है

फार्मेसी के विषय के संबंध में, पी. सी. आई. को न केवल फार्मेसी के पेशे को विनियमित करने का अधिकार है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों को भी

कौन से व्यक्ति फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और ए. आई. सी. टी. ई. के पास इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 5.4 वह फार्मेसी चिकित्सा दवाओं को तैयार करने, संरक्षित करने, यौगिक बनाने और वितरित करने का पेशा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि,

फार्मेसी अधिनियम, पीसीआई का गठन भारत में फार्मेसी की शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए सशक्त निकाय के रूप में किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. सी. आई. को भारत में फार्मासिस्ट के रूप में अभ्यास करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित करने और लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों और संस्थानों को मंजूरी देना शामिल है जो अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकते हैं ताकि कोई व्यक्ति फार्मासिस्ट के पेशे का अभ्यास कर सके। फार्मेसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भरोसा करते हुए, पीसीआई की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि पीसीआई को न्यूनतम निर्धारित करना चाहिए

फार्मेसिस्टों के लिए शिक्षा के मानक और अध्ययन के पाठ्यक्रमों को मंजूरी। 5.5 वह फार्मेसी उन कई विषयों/विषयों में से एक है जहां विधानमंडल ने उस विषय में शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया है,

न्यूनतम मानकों को एक स्वायत्त वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाना है जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे न केवल विषय/विषय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षा के मानक निर्धारित करते हैं, बल्कि वे छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए पात्रता शर्तों, पाठ्यक्रम की सामग्री, मूल्यांकन के लिए मानकों को भी निर्धारित करते हैं।

जाँच आदि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी देते हैं महाविद्यालयों/संस्थानों में निरीक्षण द्वारा सत्यापन द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर विषय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून [2020] 5 एस. सी. आर. से भी संबंधित है।

उस विषय में पेशेवरों का पंजीकरण और साथ ही पंजीकृत पेशेवरों के रूप में उनका बाद का आचरण।

5.6 यह बहुत महत्वपूर्ण और/या आवश्यक है कि स्वायत्त वैधानिक प्राधिकरण, जो किसी विशेष विषय में विधायिका द्वारा पेशेवरों के संचालन की निगरानी और निगरानी करने के लिए बाध्य है, को भी शिक्षा के मानकों, पाठ्यक्रमों/संस्थानों के अनुमोदन, परीक्षा के मानकों के मूल्यांकन और उसके बाद पंजीकरण देने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हाथ दिया जाए।

5.7 कि विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से इन सभी एकीकृत कार्यों को करने के लिए केवल एक स्वायत्त वैधानिक प्राधिकरण की परिकल्पना की है और यह है

यह कल्पना करना असंभव है कि उसी बहुत ही अधिकृत क्षेत्र में, एक अन्य वैधानिक प्राधिकरण, अधिकार क्षेत्र को ग्रहण/हड़पना चाहता है जिससे अप्रिय व्यावहारिक समस्याएं, संघर्ष और विसंगतियां पैदा होती हैं, जिससे विशेष कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पूरे उद्देश्य को विफल करना।

5.8 फार्मेसी का वह विषय विशेष है और सामान्य विषय नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद द्वारा इसे पूरी तरह से निपटाया गया है

प्रस्तुत किया कि यह पूरा विधायी उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों और विनियमों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 5.9 फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 पी. सी. आई. को न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने वाले शिक्षा विनियम बनाने का अधिकार देती है।

फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 (2) के अनुसार, ऐसे शिक्षा विनियम निर्धारित कर सकते हैं -

(क) अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रकृति और अवधि

एक परीक्षा में प्रवेश से पहले किया गया;

(ख) छात्रों के लिए प्रदान किए जाने वाले उपकरण और सुविधाएँ

अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमों से गुजरना;

(ग) परीक्षा के विषय और उनमें मानकों को

प्राप्त किया;

((घ) परीक्षाओं में प्रवेश की कोई अन्य शर्तें।

5.10 कि अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने की शक्ति फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 में निहित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इस प्रावधान के तहत, किसी राज्य में कोई भी "प्राधिकरण" जो भारत की औषधि परिषद के लिए सशक्त है।

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

फार्मेसी में अध्ययन का एक पाठ्यक्रम आयोजित करना शिक्षा विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए केंद्रीय परिषद को आवेदन कर सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह, कोई भी प्राधिकरण जो किसी राज्य में फार्मेसी के लिए परीक्षा आयोजित करता है, ऐसी परीक्षा के अनुमोदन के लिए पी. सी. आई. को आवेदन कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक छात्र जिसने एक अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है/पूरा किया है और एक अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसलिए अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, फार्मेसी अधिनियम के तहत, फार्मेसी के किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन में पीसीआई की मंजूरी अनिवार्य है और इसके अभाव में, किसी भी छात्र को ऐसे पाठ्यक्रम के लिए डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जा सकता है जो उसे देश में फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण का हकदार बनाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 (1) को अधिकार देता है

पी. सी. आई. एक ऐसे संस्थान को मंजूरी देगा जो "पाठ्यक्रम" का संचालन करता है फार्मासिस्ट के लिए "अध्ययन"। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, धारा 12 के अनुसार, केंद्रीय परिषद को अनुमोदन के लिए एक आवेदन करना होता है जिसके बाद

ऐसी जांच, जो वह करना उचित समझे, कि अध्ययन का उक्त पाठ्यक्रम एक फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक को निर्धारित करने वाली धारा 10 के तहत परिकल्पित शिक्षा विनियमों के अनुरूप है, प्रवेश के उद्देश्य से अध्ययन के उक्त पाठ्यक्रम को फार्मासिस्टों के लिए एक अनुमोदित परीक्षा घोषित करेगा।

5.10. 1 फार्मेसी अधिनियम की धारा 13 भी अधिकार देती है

केंद्रीय परिषद निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए 'अध्ययन के पाठ्यक्रम' और 'परीक्षा' को दी गई मंजूरी को वापस लेगी।

5.10. 2 वह धारा 16 कार्यकारी समिति को किसी भी संस्थान का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जो अध्ययन का एक अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रदान करता है या वे संस्थान जो अध्ययन या परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन करते हैं।

5.10. 3 वह धारा 29 फार्मासिस्टों के रजिस्टर की तैयारी और रखरखाव से संबंधित है। धारा 35 में अतिरिक्त प्रविष्टि का प्रावधान है।

किसी भी पंजीकृत फार्मासिस्ट के संबंध में रजिस्टर में योग्यता। धारा 36 किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर से स्थायी रूप से या अस्थायी अवधि के लिए हटाने का प्रावधान करती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पी. सी. आई. न केवल प्रावधानों को विनियमित करता है, बल्कि उन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को मंजूरी देकर पेशे में प्रवेश को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो पंजीकृत होने के लिए उपयुक्त योग्यता का गठन करते हैं।

धारा 32 (2) के तहत एक फार्मासिस्ट के रूप में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा के तहत

42 फार्मेसी अधिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति [2020] 5 एस. सी. आर. के पेशे का अभ्यास नहीं कर सकता है।

फार्मेसी जब तक वह फार्मेसी अधिनियम के अनुसार फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत नहीं है और धारा 42 (2) एक दंडात्मक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत फार्मासिस्ट नहीं है और धारा 42 (1) का उल्लंघन करता है, उसे छह महीने तक की अवधि के कारावास या एक हजार रुपये से अधिक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

5.11 कि फार्मेसी अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीसीआई ने निर्धारित करने के लिए कई नियम बनाए हैं

शिक्षा के न्यूनतम मानकों के साथ-साथ भारत में फार्मेसी के विषय को विनियमित करना, जिसमें शामिल हैं:

ए। शिक्षा विनियम, 1991;

बी। फार्म। घ. विनियम, 2008;

सी। फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ

विनियम, 2014;

डी। बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014;

ई. मास्टर ऑफ फार्मेसी (M.Pharm) पाठ्यक्रम विनियम, 2014;

एफ. बैचलर ऑफ फार्मेसी (प्रैक्टिस) विनियम, 2014; जी। फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015।

5.12 यह कि उपरोक्त वैधानिक योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि फार्मेसी का क्षेत्र पूरी तरह से सभी विवरणों से भरा हुआ है और सभी व्यापक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह पूरी तरह से न केवल फार्मेसी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर और शासित है, बल्कि इसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों और वैधानिक विनियमों द्वारा भी पूरक है; जिससे फार्मेसी के विषय पर एक पूर्ण कोड प्रदान किया जाता है।

5.13 कि फार्मेसी अधिनियम को लागू करने में विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना था कि पेशे का निर्बाध विनियमन हो, दोनों में

फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवश्यक योग्यता की शर्तें और एक पेशे के रूप में फार्मेसी का वास्तविक अभ्यास। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी योजना को संसद द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी पेशे (बार काउंसिल ऑफ इंडिया), चिकित्सा पेशे (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया), वास्तुकार (आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया), नर्सिंग (नर्स काउंसिल ऑफ इंडिया) और दंत चिकित्सा (डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया) के संबंध में अपनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के विषय/क्षेत्र से संबंधित एक विशेष कानून है।

भारत की फार्मेसी परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

5.14 दूसरी ओर, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मानकों को बनाए रखा जाए और

कि इसका उद्देश्य भारत में विशेष शिक्षा के विनियमन के सभी पहलुओं को संभालना नहीं है, जिसके लिए विशेष नियामक निकाय पहले से ही काम कर रहे हैं।

इंजीनियरिंग और इसी तरह के तकनीकी विषयों पर नीतियों के संबंध में केंद्र सरकार की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। कि इसे किसी भी तरह से अन्य वैधानिक निकायों की स्वायत्तता और अधिकार को कमजोर करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह किसी भी पाठ्यक्रम की देखरेख नहीं करता है जिसके लिए पेशेवरों के पंजीकरण और उनके आचरण की आवश्यकता होती है। कि चिकित्सा, दंत चिकित्सा, वास्तुकला के साथ-साथ फार्मेसी के विषय पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 5.15 कि ए. आई. सी. टी. ई. की शक्तियों का दायरा और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के पीछे विधायी इरादे को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है

भारतीदासन विश्वविद्यालय का मामला बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (2001) 8 एस. सी. सी. 676। पैराग्राफ 8 और 10 पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है।

नियामक निकाय, लेकिन इसका उद्देश्य एक सलाहकार क्षमता में देश भर में तकनीकी शिक्षा के मानकों के समन्वय और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए फार्मेसी शिक्षा के विनियमन में, पी. सी. आई. फार्मेसी अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों का नियामक बना हुआ है। कि फार्मेसी के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के विनियमन के संबंध में, फार्मेसी अधिनियम के प्रावधान एक विशेष कानून है जो इस विषय से संबंधित है - " फार्मेसी "तकनीकी शिक्षा" के लिए एक सामान्य कानून होने के नाते ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम पर हावी होगी।

5.17 कि अन्यथा भी फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के विषय पर एक विशेष कानून होने के कारण ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम पर प्रबल होगा। यह है।

प्रस्तुत किया कि यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि किसी भी विषय से संबंधित एक विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रबल होगा जो केवल संयोग से उक्त विषय से संबंधित हो सकता है। कि कानून का यह सिद्धांत मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट में भी निहित है। यह है।

प्रस्तुत किया कि यह इस सिद्धांत का एक अपवाद है कि एक बाद वाला क़ानून पहले के क़ानून पर प्रबल होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए पहले

विशेष कानून बाद के सामान्य कानून पर हावी होगा। [2020] 5 एस. सी. आर. के समर्थन में।

उपरोक्त प्रस्तुतियों में, यू. पी. एस. ई. बी. बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भारी निर्भरता रखी गई है। हरि शंकर जैन (1978) 4 एस. सी. सी. 16; एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम। डी. जे. बहादुर (1981) 1 एस. सी. सी. 315 और याकूब अब्दुल रजाक मेमन बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 13 एससीसी 1.

5.18 उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी संघर्ष के मामले में भी, फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के विशेष विषय से संबंधित एक विशेष कानून होने के नाते तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य कानून होने के कारण ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम पर प्रबल होगा।

5.19 कि यहां तक कि 'निहित निरसन' के सिद्धांत के आधार पर उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत करना भी पूरी तरह से गलत है और

गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह इस न्यायालय द्वारा नगर परिषद बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। टी. जे. जोसेफ (1964) 2 एस. सी. आर. 87 में कहा गया है कि जब विधानमंडल द्वारा एक ही विषय से संबंधित अलग-अलग समय पर दो कानून बनाए जाते हैं, तो ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि बाद का कानून निहित रूप से पहले के कानून को निरस्त करता है। बायराम प्रेस्टनजी गरीवाला बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भारी निर्भरता रखी गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1992) 1 एससीसी 31. कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "निहित निरसन" के सिद्धांत को लागू करके कानून में किसी भी मौलिक परिवर्तन/परिवर्तन की धारणा नहीं की जा सकती है। यह माना जाता है कि कानून में कोई भी मौलिक परिवर्तन/परिवर्तन, केवल स्पष्ट शब्दों द्वारा किया जा सकता है, न कि "एक तरफ से"। इसलिए, उपरोक्त निर्णय में, "निहित निरसन" के सिद्धांत पर आधारित तर्क दिया गया है

अस्वीकार कर दिया।

5.19. 1 इसलिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ-साथ ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि भारतीदर्शन मामले (उपरोक्त) में निर्णय के पैरा 8 में भी समझाया गया है, यह बहुत स्पष्ट है कि संसद का उद्देश्य मौलिक रूप से परिवर्तन करना नहीं है।

मौजूदा व्यवस्था जहां-शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के चरण से लेकर अध्ययन के पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने से लेकर पंजीकरण के चरण तक और फार्मासिस्ट के व्यावसायिक आचरण की भविष्य की निगरानी के लिए फार्मेसी अधिनियम पी. सी. आई. को इस तरह के अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करता है।

5.19. 2 कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को किसी भी तरह से पी. सी. आई. के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को प्रभावित करने वाला नहीं माना जा सकता है।

इस ओर से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को फार्मेसी अधिनियम को "निहित निरसित" नहीं माना जा सकता है और इसके विपरीत कोई भी तर्क इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के योग्य होगा।

5.19. 3 कि किसी भी स्पष्ट या निहित विधायी के अभाव में

इरादे से, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को भारत की फार्मेसी फार्मेसी परिषद को निरस्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

महाराष्ट्र सरकार (दिनांक 24.07.2018) ने कहा है कि "यह वांछनीय है कि भारत सरकार को AICTE अधिनियम की धारा 2 (g) में परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या फार्मेसी को शामिल किया जा सकता था जब इसे पहले से ही फार्मेसी अधिनियम द्वारा परिवर्तित किया जा चुका था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के बीच 30.09.2019 पर आयोजित एक अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि "फार्मेसी" शब्द को AICTE अधिनियम के तहत "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा से हटा दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि संशोधन अभी भी किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2019, जो यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियमों और संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय विधेयक, 2018 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट जैसे 53 संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए एक नियामक तंत्र अस्तित्व में लाने का प्रयास करता है।

रेडियोलॉजिस्ट, पोषण विशेषज्ञ आदि का पी. सी. आई. से कोई संबंध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा, दंत चिकित्सा से संबंधित सभी चार परिषदें,

फार्मेसी और नर्सिंग विशेष अधिनियमों के तहत अपने-अपने कर्तव्यों और गतिविधियों का निर्वहन करना जारी रखेंगे।

उन पाठ्यक्रमों के लिए क्षमता जहां पी. सी. आई. द्वारा प्रवेश क्षमता तय की गई थी, और ए. आई. सी. आई. टी. ई. द्वारा पी. सी. आई. के नियमों के विपरीत दूसरी पाली (शाम की कक्षाओं) की अनुमति के कारण भी। 5.23 कि हाल ही में भी ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है जो सूचित करती है कि ए. आई. सी. टी. ई. अभी भी अनुदान [2020] 5 एस. सी. आर. के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में इस न्यायालय के फैसले के बावजूद वास्तुकला के पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी

वास्तुकला (ऊपर)। इसलिए यह कि उक्त सार्वजनिक सूचना भी इस न्यायालय के निर्णय और आदेश के दायरे में है और यह इस न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा के अलावा और कुछ नहीं है। 5.24 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान याचिकाओं को अनुमति दी जाए और यह माना जाए कि पीसीआई के पास शिक्षा के साथ-साथ इसे विनियमित करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति है।

अपने सभी पहलुओं के संबंध में फार्मेसी के पेशे के अभ्यास और ए. आई. सी. टी. ई. के पास उस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं होगी। यह मानने की भी प्रार्थना की जाती है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) में "फार्मेसी" शब्द को शिक्षा के विनियमन और फार्मेसी में पेशे के अभ्यास के संबंध में अप्रयोज्य माना जाना चाहिए।

ए. आई. सी. टी. ई. की प्रस्तुतियाँ

6. ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री हरीश पांडे ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की हैं:

6.1 कि ए. आई. सी. टी. ई. की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1945 में एक

स्वीकृत मानकों के अनुसार समन्वित विकास और तकनीकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में सरकारी प्रस्ताव लागू किया जा रहा था। प्रभावी भूमिका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बढ़ते कटाव को ध्यान में रखते हुए

मानक और अनुशंसा के अनुसार, ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका पर गौर करने के लिए नवंबर 1985 में एक राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की गई थी। ए. आई. सी. टी. ई. को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए, यह सिफारिश की गई थी कि परिषद को वैधानिक शक्ति दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह भी निर्धारित किया गया था कि परिषद को वैधानिक शक्ति दी जाएगी। देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को उचित योजना बनाने और उसे लागू करने के उद्देश्य से ए. आई. सी. टी. ई. की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का समन्वित विकास; नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. को सौंपी गई शक्ति और कार्य न केवल मानदंड और मानक निर्धारित करने के लिए हैं, बल्कि कार्यक्रमों और संस्थानों की मान्यता का निरीक्षण, अनुमोदन और रोक लगाना है।

भारत की फार्मेसी परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

6.2 ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) तकनीकी शिक्षा को परिभाषित करती है और इसमें फार्मेसी शामिल है। ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से विद्वान वकील ने हमें ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से लिया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के लिए अधिनियमित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक का विनियमन और निर्धारण करना और

ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) में परिभाषित तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को न्यूनतम योग्यता और मानक निर्धारित करने और संस्थानों को विनियमित करने और इसके नियमों का पालन करने में विफलता के मामले में सभी शक्तियां दी गई हैं।

और विनियम, कार्रवाई करने की शक्ति, अनुमोदन को वापस लेने सहित।

6.3 कि जहाँ तक फार्मेसी अधिनियम का संबंध है, यह एक पूर्व संविधान अधिनियम है जिसे वर्ष 1948 में पेशे के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था और

फार्मेसी का अभ्यास और उस उद्देश्य के लिए फार्मेसी परिषद का गठन करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फार्मेसी अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य और प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि फार्मेसी अधिनियम जो एक पूर्व अधिनियम है, मुख्य रूप से केवल पेशेवरों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1987 में, ए. आई. सी. टी. ई. को ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत परिभाषित तकनीकी शिक्षा और तकनीकी निर्देशों के लिए न्यूनतम मानदंडों और मानकों को विनियमित करने और निर्धारित करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण के साथ वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में आने के बाद, इसे मंजूरी देना पूरी तरह से ए. आई. सी. टी. ई. परिषद के अधिकार क्षेत्र में है।

एक नया पाठ्यक्रम या एक नए संस्थान को मान्यता देना।

6.4 कि विधानमंडल ने अपने विवेक से ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में 'तकनीकी शिक्षा' की परिभाषा में फार्मेसी को शामिल किया है और दिया है

ए. आई. सी. टी. ई. तकनीकी शिक्षा के उचित और समन्वित विकास के लिए तकनीकी शिक्षा के मानदंडों और मानकों को बनाए रखने का अधिकार देता है। 6.5 कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है और इसलिए न्यायालय केवल एक कठोर परिणाम के कारण अलग तरीके से इसकी व्याख्या नहीं करेगा। रिलायंस को नसीरुद्दीन बनाम के मामले में रखा गया है। सीता राम अग्रवाल (2003) 2 एससीसी 577।

6.6 ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम से "फार्मेसी" शब्द को हटाना, जिसे विशेष रूप से विधानमंडल द्वारा शामिल किया गया है,

ऐसा विधान जो अनुज्ञेय न हो, जैसा कि इस न्यायालय ने भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया है। देउकी नंदन अग्रवाल (1992) सप। 1 एससीसी 323। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय कानून को फिर से नहीं लिख सकते हैं, फिर से तैयार नहीं कर सकते हैं या फिर से तैयार नहीं कर सकते हैं।

6.7 जैसा कि इस न्यायालय ने अजीत सिंह सिंघवी के मामले में कहा था

वी. राजस्थान राज्य 1991 पूरक। (1) एस. सी. सी. 343, अदालतों को हमेशा यह मान लेना चाहिए कि विधानमंडल ने कानून के हर हिस्से को शामिल किया है। उद्देश्य और विधायी इरादा यह है कि क़ानून के प्रत्येक भाग का प्रभाव होना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनर्जी बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। भारत संघ (1984) 3 एस. सी. सी. 127, बाद का कानून प्रबल होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, जो कि बाद का अधिनियम है, फार्मेसी अधिनियम पर प्रबल होगा।

6.8 संविधान के अनुच्छेद 372 में कहा गया है कि

अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमों के संविधान द्वारा निरसन के बावजूद, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है।

सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि-66 के तहत संसद। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम संसद द्वारा संघ सूची के तहत अधिनियमित किया गया है, जिसमें वही क्षेत्र शामिल है जो पहले 1948 अधिनियम द्वारा कवर किया गया था, अर्थात्, अध्ययन के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने के लिए

फार्मेसी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए संविधान के अनुच्छेद 372 के संदर्भ में, 1987 का अधिनियम उस हद तक प्रभावी होगा जब यह उसी क्षेत्र को शामिल करता है जो मौजूदा कानून यानी 1948 अधिनियम के अंतर्गत आता है और उस हद तक 1948 के अधिनियम के प्रावधान निरस्त/परिवर्तित हो जाते हैं। 7. जहाँ तक भारतीदर्शन के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है।

(ऊपर) का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

विवाद यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. विश्वविद्यालयों की शक्तियों के संबंध में था और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत तकनीकी संस्थान की परिभाषा में विश्वविद्यालयों को बाहर रखा गया है और इसलिए इस न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालयों पर ए. आई. सी. टी. ई. का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि फार्मेसी को जानबूझकर परिभाषा में और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शामिल किया गया है।

7.1 जहाँ तक श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा है

पी. सी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा वास्तुकला (उपर्युक्त) के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय पर रखी गई निर्भरता गलत है क्योंकि यह मुख्य रूप से निजी

महाविद्यालयों के प्रबंधन संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (2013) 8 एस. सी. सी. 385 भारत की फार्मेसी परिषद बनाम।

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

इस तथ्य की सराहना किए बिना कि उस उपरोक्त निर्णय में शामिल मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

7.2 कि अन्यथा भी वास्तुकार अधिनियम और फार्मेसी अधिनियम के बीच प्रावधानों में अंतर है।

7.3 कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 फार्मेसी अधिनियम, 1948 की तुलना में बाद का अधिनियम है और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाओं, कर्मचारियों के पैटर्न, कर्मचारियों की योग्यता, गुणवत्ता निर्देशों, मूल्यांकन और परीक्षा के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने के लिए एक विशेष अधिनियम है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए "निहित निरसन" के सिद्धांत पर ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रावधान फार्मेसी अधिनियम पर हावी होंगे।

7.4 कि प्रगतिशील शिक्षा सोसायटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार

ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) में निहित तकनीकी शिक्षा की परिभाषा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, यह निर्णय लिया गया था कि जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक दोनों परिषदें अनुमोदन देने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगी और दोनों पक्ष अपने द्वारा दायर मामलों को वापस ले लेंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों परिषदें एक साथ विनियमित करेंगी। 7.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि एआईसीटीई के पक्ष में शामिल प्रश्नों/मुद्दों का उत्तर दिया जाए और यह माना जाए कि एआईसीटीई अधिनियम के प्रावधान फार्मेसी अधिनियम पर हावी होंगे।

अन्य प्रस्तुतियाँ

8. एसएलपी (सी) संख्या में प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। 4124-4127 2016 ने एआईसीटीई के रुख का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रयास किया जाना चाहिए कि फार्मेसी अधिनियम और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम दोनों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला जाए और दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8.1 प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने, अनुमोदित करने और विनियमित करने के लिए पीसीआई के अधिकार पर विवाद नहीं करता है।

फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण करने के लिए निर्धारित। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. सी. आई. की भूमिका और शक्तियाँ सीमित हैं और इसकी शक्तियाँ [2020] 5 एस. सी. आर. तक सीमित हैं।

फार्मेसी में डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रम नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फार्मेसी अधिनियम संस्थानों पर पी. सी. आई. को सीधा नियंत्रण नहीं देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी कमी को ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम द्वारा भरा जाता है।

8.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक सीट प्रवेश का संबंध है, शिक्षा विनियमन, 1991 फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक कुछ बुनियादी सुविधाओं को निर्धारित करता है। बेशक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. को अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर सीट की संख्या बढ़ाने पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह है।

प्रस्तुत किया कि इसलिए जब शिक्षा विनियमों में निर्धारित अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन होगा, तब भी ए. आई. सी. टी. ई. अपने मानदंडों के अनुसार किसी भी अन्य अनुपालन पर जोर दे सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फार्मेसी के पेशे को विनियमित करने के उद्देश्य से,

अध्ययन और परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पी. सी. आई. का वर्चस्व होगा और अन्य मामलों पर ए. आई. सी. टी. ई. और इसके नियम प्रबल होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक फार्मेसी के पेशे का संबंध है, फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक तकनीकी संस्थान को विनियमित करने की बात है, एआईसीटीई विशेष अधिनियम है और इसलिए वही प्रबल होगा।

8.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 5 के संबंध में ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित सीटों का प्रवेश

संस्थान की रक्षा की जा सकती है।

9. संबंधित संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अंतरिम आदेशों द्वारा जो कुछ मामलों में अंतिम थे, संबंधित संस्थानों को एआईसीटीई के निर्णय के अनुसार प्रवेश बढ़ाने की अनुमति है और छात्रों ने अध्ययन किया है और अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा छात्रों के हित में पारित किए गए थे, इसलिए, संबंधित मामलों का परिणाम जो भी हो, छात्रों और संस्थानों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

10. प्रत्युत्तर में, पी. सी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार के प्रावधान

आर्किटेक्ट्स एक्ट, 1972 और फार्मेसी एक्ट, 1948 के प्रावधान धारा 17 में गैर-अनिवार्य खंड को छोड़कर समान और परा-सामग्री हैं। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तुकार अधिनियम की धारा 17 के एक खाली अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधान का वास्तुकला के क्षेत्र में शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए वास्तुकला परिषद की शक्ति के साथ कोई संबंध या संबंध नहीं है और उक्त गैर-जिद्दी प्रावधान केवल पंजीकरण के संबंध में है, अर्थात वास्तुकला का अभ्यास करने के लिए, वास्तुकार अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य होगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत की फार्मेसी परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

इसलिए फार्मेसी अधिनियम में इस तरह के किसी भी प्रावधान के न होने से संबंधित मुद्दे के निर्णय का कोई परिणाम या प्रभाव नहीं पड़ता है।

वर्तमान मामले में।

11. अब, जहाँ तक अनुच्छेद 372 पर निर्भरता रखी गई है

ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा संविधान, यह विद्वान वरिष्ठ श्री मनिंदर सिंह द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है।

पी. सी. आई. की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 372 के अनुसार भी, जब तक कि एक पूर्व-संवैधानिक क़ानून को विशेष रूप से निरस्त नहीं किया जाता है, यह जारी रहता है। कि वर्तमान मामले में,

फार्मेसी अधिनियम, 1948 के किसी भी निरसन के अभाव में, यह भारत में जारी है।

हमारा विचारः

12. जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, वर्तमान में शामिल मुद्दा

फार्मेसी अधिनियम, 1948 या ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 फार्मेसी के विषय के संबंध में लागू होने वाले मामलों का समूह है, जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों की मंजूरी, फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण, भविष्य के पेशेवर आचरण का विनियमन आदि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या पी. सी. आई. या ए. आई. सी. टी. ई. का आदेश किसी भी संस्थान को फार्मेसी शिक्षा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अनुमोदन और संबंधित मामलों को देने के सवाल पर प्रबल होगा, यदि कोई संघर्ष/विवाद है। इन दोनों निकायों की राय में विरोधाभास। मुद्दा यह है कि कौन सा निकाय, यानी ए. आई. सी. टी. ई. या पी. सी. आई. मुख्य रूप से भारत में दवा विनियमन के विनियमन के लिए जिम्मेदार होगा।

13. याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल मुद्दों/प्रश्नों का उत्तर देते समय, सबसे पहले, जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या फार्मेसी अधिनियम, जो कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का पूर्व अधिनियम है, को फार्मेसी के क्षेत्र में विशेष प्रावधानों के साथ एक विशेष अधिनियम कहा जा सकता है? फार्मेसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

" यह वांछनीय है कि, अधिकांश अन्य देशों की तरह, केवल व्यक्ति

जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का न्यूनतम मानक प्राप्त कर लिया है, उन्हें फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार एक केंद्रीय फार्मेसी परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है।

जो शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करेगा और

फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना, और

प्रांतीय फार्मेसी परिषदें, जो [2020] 5 एस. सी. आर. के लिए जिम्मेदार होंगी।

योग्य फार्मासिस्टों के प्रांतीय रजिस्टरों का रखरखाव। प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है कि वे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से या उसके अलावा किसी चिकित्सक के पर्चे पर दवा के वितरण पर प्रतिबंध लगा सकें।

एक पंजीकृत फार्मासिस्ट का पर्यवेक्षण "।

फार्मेसी अधिनियम, 1948 की प्रस्तावना के अनुसार, फार्मेसी अधिनियम के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करने के लिए लागू किया गया है।

फार्मेसी का व्यवसाय और अभ्यास और उस उद्देश्य के लिए फार्मेसी परिषदों का गठन करना। यदि हम संबंधित प्रावधानों पर विचार करते हैं

फार्मेसी अधिनियम, जिसमें पाठ्यक्रमों की मंजूरी, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु निर्धारित करना, छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए पात्रता की शर्तें, परीक्षा के मानकों का मूल्यांकन, पंजीकरण का अनुदान, पाठ्यक्रमों में प्रवेश सहित सभी क्षेत्र शामिल हैं।

उच्च योग्यता, किसी भी कुख्यात आचरण आदि के लिए कार्रवाई करना। फार्मेसी अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान धारा 10,12,13,16,29,32,35,36 और 42 हैं।

13.1 फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 पी. सी. आई. को शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने वाले शिक्षा विनियम बनाने का अधिकार देती है।

फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक। धारा 10 की उप-धारा (2) के अनुसार, ऐसे शिक्षा विनियम निर्धारित कर सकते हैं:

क) किसी परीक्षा में प्रवेश से पहले किए जाने वाले अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रकृति और अवधि;

ख) छात्रों के लिए प्रदान किए जाने वाले उपकरण और सुविधाएँ

अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमों से गुजरना;

ग) परीक्षा के विषय और उनमें मानकों को

प्राप्त किया;

(घ) परीक्षाओं में प्रवेश की कोई अन्य शर्तें।

फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, किसी राज्य में कोई भी "प्राधिकरण" जो फार्मेसी में अध्ययन का पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सशक्त है,

शिक्षा विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए केंद्रीय परिषद को आवेदन करें। इसी तरह, कोई भी प्राधिकरण जो फार्मेसी के लिए किसी राज्य की परीक्षा आयोजित करता है, ऐसी परीक्षा के अनुमोदन के

लिए पी. सी. आई. को आवेदन कर सकता है। एक छात्र जिसने एक अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण/पूरी की हो पाठ्यक्रम और एक अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को केवल अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। फार्मेसी अधिनियम की धारा 13 केंद्रीय परिषद को भारत की फार्मेसी परिषद का पालन करने में विफलता के लिए 'अध्ययन के पाठ्यक्रम' और 'परीक्षा' को दी गई मंजूरी को वापस लेने का अधिकार देती है।

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

निर्धारित मानदंडों के साथ। फार्मेसी अधिनियम की धारा 16 कार्यकारी समिति को किसी भी संस्थान का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जो अध्ययन का एक अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रदान करता है या वे संस्थान जो अध्ययन या परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन करते हैं। धारा 29 फार्मासिस्टों के रजिस्टर की तैयारी और रखरखाव से संबंधित है। धारा 35 किसी भी पंजीकृत फार्मासिस्ट के संबंध में रजिस्टर में अतिरिक्त योग्यताओं को दर्ज करने का प्रावधान करती है। धारा 36 किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर से स्थायी रूप से या अस्थायी अवधि के लिए हटाने का प्रावधान करती है। फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, कोई व्यक्ति फार्मेसी के पेशे का अभ्यास तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह फार्मेसी अधिनियम के अनुसार फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत न हो। धारा 42 की उप-धारा (2) एक दंडात्मक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत फार्मासिस्ट नहीं है और धारा 42 की उप-धारा (1) का उल्लंघन करता है,

छह महीने तक की अवधि के कारावास या एक हजार रुपये से अधिक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय।

13.2 फार्मेसी अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पी. सी. आई. ने न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए कई विनियम बनाए हैं - शिक्षा के साथ-साथ भारत में फार्मेसी के विषय को विनियमित करना, जिसमें शामिल हैं:

बी। फार्म। डी विनियम, 2008;

सी। फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ

विनियम, 2014;

डी। बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm) पाठ्यक्रम विनियम, 2014;

ई. मास्टर ऑफ फार्मेसी (M.Pharm) पाठ्यक्रम विनियम, 2014;

एफ. बैचलर ऑफ फार्मेसी (प्रैक्टिस) विनियम, 2014;

जी। फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015।

इस प्रकार, फार्मेसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसमें बनाए गए विनियमों पर विचार करते हुए, यह कहा जा सकता है कि फार्मेसी अधिनियम अपने आप में फार्मेसी के विषय में एक पूर्ण संहिता है। पी. सी. आई. का गठन भारत में फार्मेसी की शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए सशक्त निकाय के रूप में किया गया है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि फार्मेसी का विषय एक विशेष है और सामान्य विषय नहीं है। फार्मेसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों से, विशेष रूप से, निर्दिष्ट प्रावधान

इसके ऊपर, फार्मेसी अधिनियम विशेष रूप से पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, पाठ्यक्रम सामग्री निर्धारित करने, पात्रता शर्तों [2020] 5 एस. सी. आर. सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करता है।

छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए, परीक्षा के मूल्यांकन मानक, पंजीकरण का अनुदान, उसी विषय में उच्च योग्यता का प्रवेश, कुख्यात आचरण के लिए कार्रवाई करना आदि। इसमें दंड का प्रावधान भी है। इस प्रकार, फार्मेसी अधिनियम को लागू करने में विधायी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि पेशे का निर्बाध विनियमन हो। फार्मेसी अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विधानमंडल ने क़ानून के तहत स्वायत्त वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना की है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फार्मेसी के क्षेत्र में फार्मेसी अधिनियम एक विशेष कानून है।

13.3 दूसरी ओर, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को तकनीकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा पर लागू होने वाला एक सामान्य कानून कहा जा सकता है। अगर हम ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विचार करें, यह विशेष रूप से कहा गया है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम मूल रूप से एक

स्वीकृत मानकों के अनुसार तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में सरकारी संकल्प। यह निम्नानुसार है:

" 1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) की स्थापना 1945 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी।

अनुमोदित मानकों के अनुसार तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ निकाय। पहले तीन दशकों के दौरान परिषद ने काफी प्रभावी ढंग से काम किया और इस अवधि में तकनीकी शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। हालांकि, हाल के वर्षों में, बड़ी संख्या में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक एआईसीटीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश संस्थान

यहाँ तक कि प्राथमिक के संदर्भ में भी गंभीर कमियाँ हैं

उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण। कुछ अपवादों को छोड़कर, बहुत कम सम्मान है

शैक्षिक मानकों का रखरखाव।

2. मानकों के बढ़ते क्षरण को ध्यान में रखते हुए, परिषद 1981 में आयोजित अपनी बैठक में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक ऐसे चरण पर पहुंच गई है जब उसे तकनीकी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए वैधानिक शक्तियां दी जानी चाहिए

देश में। इन और अन्य सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 1985 में एक राष्ट्रीय कार्य समूह का गठन किया गया था।

एआईसीटीई की भूमिका में। भारत की राष्ट्रीय कार्य समूह RMACY परिषद v.

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

सिफारिश की गई कि ए. आई. सी. टी. ई. को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए, इसे आवश्यक वैधानिक रूप से निहित करना होगा।

प्राधिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह भी निर्धारित किया गया था कि ए. आई. सी. टी. ई. को मानदंडों और मानकों की योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए वैधानिक प्राधिकरण के साथ निहित किया जाएगा।

मान्यता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वित्तपोषण, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणपत्रों और पुरस्कारों की समानता बनाए रखना और तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।

3. यह विधेयक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान करना चाहता हैः

(i) पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास;
((ii) नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना और

((iii) प्रणाली का विनियमन और मानदंडों का उचित रखरखाव।

और मानक।

तदनुसार, को सौंपी गई शक्तियाँ और कार्य

ए. आई. सी. टी. ई., अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यक्रमों और संस्थानों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करता है, तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए मंजूरी देता है, छात्रों के प्रवेश और शुल्क लेने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, और मानकों को बनाए रखने और कार्यक्रमों और संस्थानों की मान्यता प्रदान करने या मान्यता को रोकने के लिए समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है। इस समग्र समन्वय और विकास जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में, ए. आई. सी. टी. ई. चिन्हित विकासात्मक उद्देश्यों के लिए संस्थानों को अनुदान भी देगा। इसके अलावा, ए. आई. सी. टी. ई. नवाचार, अनुसंधान और विकास, उद्योग के साथ जुड़ाव और महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों द्वारा तकनीकी शिक्षा तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देगा।

ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः " उचित योजना बनाने की दृष्टि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए एक अधिनियम

और पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का समन्वित विकास, नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधारों को बढ़ावा देना और [2020] 5 एस. सी. आर.

तकनीकी शिक्षा प्रणाली और संबंधित मामलों के लिए इसके साथ "।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को तकनीकी शिक्षा के संबंध में एक सामान्य कानून कहा जा सकता है। यह सच है कि परिभाषा में, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) के अनुसार, "तकनीकी शिक्षा" का अर्थ "फार्मेसी" भी है। हालांकि, उसी से निपटा जाएगा यहाँ नीचे।

14. अब यह मानते हुए कि फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो फार्मेसी के विशेष विषय से संबंधित है, अगला प्रश्न जो पूछा जाता है

इस न्यायालय के विचार के लिए यह है कि क्या फार्मेसी के क्षेत्र में फार्मेसी अधिनियम प्रबल होगा या एआईसीटीई अधिनियम? अगला सवाल यह है कि फार्मेसी के पेशे में पीसीआई का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा या एआईसीटीई का?

14.1 इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या फार्मेसी अधिनियम जो एक विशेष अधिनियम है (जैसा कि इसमें ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है) प्रबल होगा या ए. आई. ओ. सी. टी. ई. अधिनियम जो एक सामान्य कानून है (जैसा कि इसमें ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है) और ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से प्रस्तुतियाँ कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम बाद का कानून है और धारा 2 (जी) में निहित "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा में, इसमें "फार्मेसी" भी शामिल है, इसलिए, एक बाद का कानून होने के कारण, वही प्रबल होगा क्योंकि फार्मेसी अधिनियम का एक निहित निरसन होगा, कुछ निर्णय - इस न्यायालय को संदर्भित करने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

14.2 हरि शंकर जैन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को इस उक्ति पर विचार करने का अवसर मिला था "जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन अपमानजनक "। पैराग्राफ 8 और 9 के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" 8. उक्ति "जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट" काफी है।

अच्छी तरह से ज्ञात। मैक्सिम से बहने वाले नियम को मैरी सेवार्ड v में समझाया गया है। "वेरा क्रूज़" के मालिक [(1884) 10 एसी

59 , 68] इस प्रकार है:

" अब यदि कुछ भी निश्चित हो तो यह है कि जहां बाद के अधिनियम में सामान्य शब्द हैं जो उचित और विवेकपूर्ण होने में सक्षम हैं।

इस तरह के सामान्य शब्दों के बल से, बिना किसी संकेत के ऐसा करने का विशेष इरादा "।

XXX

XXX

भारत की XXX RMACY परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

9. नियम का कारण कि एक सामान्य प्रावधान होना चाहिए

एक विशिष्ट प्रावधान के लिए उपज यह है: एक विशेष अधिनियम पारित करते हुए,

जब तक यह प्रतीत न हो कि विशेष अधिनियम को फिर से प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक कार्य करें। संसद से विचार। लंदन और ब्लैकवॉल को देखें

रेलवे वी. लाइमहाउस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ वर्क्स [26 एलजे सीएच 164: 69 ई. आर. 1048], और थोर्प बनाम। एडम्स [(1871) एलआर 6 सीपी 125]। में।

जे एंड के। कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं. लिमिटेड बनाम की स्थिति

यू. पी [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1170: (1961) 3 एससीआर 185: (1961) 1 एलएलजे 540: (1960-61) 19 एफ. जे. आर. 43], इस न्यायालय ने कहा (पी. 1174):

" यह नियम कि सामान्य प्रावधानों को विशिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया एक मनमाना सिद्धांत नहीं है।

लेकिन पुरुषों और महिलाओं की आम समझ से उत्पन्न होता है

कि जब एक ही व्यक्ति दो दिशाएँ देता है, एक एक को कवर करता है

सामान्य रूप से बड़ी संख्या में मामले और केवल कुछ के लिए दूसरा

उनका इरादा यह है कि ये बाद के निर्देश प्रबल होने चाहिए

इन्हें ध्यान में रखते हुए बाकी सभी को पहले की दिशा में देखें। प्रभाव पड़ना चाहिए। "

14.3 डी. जे. बहादुर (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने एक

सामान्य विधान और सभी विधान और 'निहित निरसन' के तर्क के बीच संघर्ष पर विचार करने के लिए। उक्त निर्णय में, न्यायालय ने क़ानून पर क्रेज़ [1963 एडन] से निम्नलिखित उद्धरणों पर ध्यान दिया। , पीपी। 376-77] :

" 49. XXX XXX

XXX

" सामान्य नियम, कि पूर्व विधियों को बाद के विधियों द्वारा निहितार्थ द्वारा निरस्त किया जाता है यदि दोनों प्रतिकूल हैं,

यदि पूर्व अधिनियम विशेष है और बाद का अधिनियम सामान्य है, तो लागू नहीं होने के लिए कहा गया है, कानून का नियम है, जैसा कि लॉर्ड सेलबोर्न ने सीवाड्र्स बनाम में कहा है। वेरा क्रूज़ [मैरी सीवाड्र्स बनाम।

"वेरा क्रूज़" के मालिक, (1884) 10 एसी 59,68], कि जहां बाद के अधिनियम में सामान्य शब्द हैं जो उचित और विवेकपूर्ण होने में सक्षम हैं।

इस तरह के सामान्य शब्दों के बल से, बिना किसी संकेत के ऐसा करने का विशेष इरादा। एक सर्वविदित नियम है जो [2020] 5 एस. सी. आर.

यह इस मामले में लागू होता है, जो यह है कि बाद का सामान्य अधिनियम पूर्व विशेष अधिनियम को निहितार्थ से प्रभावित नहीं करता है। यह कि यह कानून है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है और इस विषय पर मामले होंगे

मैक्सवेल के तीसरे संस्करण में एकत्र किया गया सामान्य है

विशेष गैर-अपमानजनक-यानी सामान्य प्रावधान नहीं होंगे

विशेष प्रावधानों को निरस्त करें। ' जब विधायिका ने एक अलग विषय पर अपना ध्यान दिया है और इसके लिए प्रावधान किया है, तो यह धारणा है कि बाद के सामान्य अधिनियम का उद्देश्य विशेष प्रावधान में हस्तक्षेप करना नहीं है, जब तक कि यह प्रकट नहीं होता है कि

इरादा बहुत स्पष्ट है। प्रत्येक अधिनियम का अर्थ उस संबंध में उसके अपने विषय-वस्तु और उसकी अपनी शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में, यह देखा गया है कि एक 'निहित निरसन' है

अंतिम न्यायिक शरण और जब तक कि उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाता है, शायद ही कभी इसका सहारा लिया जाता है। यह आगे देखा गया है कि यह निर्धारित करने में कि क्या कोई क़ानून एक विशेष क़ानून है।

या एक सामान्य, ध्यान मुख्य विषय-पदार्थ और विशेष परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए। यह देखा गया है कि कुछ उद्देश्यों के लिए, एक अधिनियम सामान्य हो सकता है और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और हम कानून के सूक्ष्म बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर को धुंधला नहीं कर सकते हैं। यह आगे देखा गया है कि जो विशेष या सामान्य है वह पूरी तरह से विषय और संदर्भ का एक प्राणी है और स्थिति, परिस्थितियों और दृष्टि के कोण के साथ भिन्न हो सकता है। कानून कोई अमूर्तता नहीं है, बल्कि वास्तविकताओं के जीवित परिवेश में खुद को महसूस करता है। जो एक विशेष प्रावधान है और कौन सा सामान्य, विशिष्ट समस्या पर निर्भर करता है, निर्णय के लिए विषय, न कि व्यापक रूब्रिक और न ही अंगूठे का कोई नियम। 14.4 याकूब अब्दुल रजाक मेमन (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को फिर से सामान्य प्रतिमा और विशेष क़ानून के बीच संघर्ष पर विचार करने का अवसर मिला। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, 1518 से 1522 के पैराग्राफ में यह देखा और निष्कर्ष निकाला गया हैः

" 1518. यह सिद्धांत कि बाद वाला अधिनियम पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रबल करेगा, लगातार इस अपवाद के अधीन माना गया है कि एक सामान्य प्रावधान किसी विशेष अधिनियम का अवमूल्यन नहीं करता है। इसका अर्थ यह है कि जहां सामान्य अधिनियम का शाब्दिक अर्थ एक ऐसी स्थिति को शामिल करता है जिसके लिए पूर्ववर्ती अधिनियम में निहित किसी अन्य अधिनियम द्वारा विशिष्ट प्रावधान किया गया है, तो यह माना जाएगा कि इस स्थिति से निपटने का उद्देश्य इस प्रकार था -

बाद के सामान्य प्रावधान के बजाय विशिष्ट प्रावधान।

भारत की आर. एम. ए. सी. आई. परिषद v. डॉ. एस. के. तोश्रीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

1519. मूल नियम जो एक सामान्य प्रावधान से प्राप्त होना चाहिए

विशिष्ट प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि दो

निर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें से एक

सामान्य रूप से बड़ी संख्या में मामले और उनमें से केवल कुछ के लिए, उनका इरादा यह है कि ये बाद के निर्देश इन संबंध में प्रबल होने चाहिए, जबकि बाकी सभी के संबंध में पहले के निर्देश।

प्रभाव दिया जाना चाहिए। 1520. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि एक विशेष अधिनियम पारित करते समय, विधायिका अपने पूरे विचार को एक

विशिष्ट विषय। इसलिए, जब एक सामान्य अधिनियम बाद में है पारित, यह मान लेना तर्कसंगत है कि विधायिका ने निरस्त नहीं किया है

या पूर्व विशेष अधिनियम को संशोधित किया जब तक कि कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है विशेष अधिनियम की भाषा से ही लिया गया है।

1521. यह निर्धारित करने के लिए कि कोई क़ानून विशेष है या नहीं।

सामान्य तौर पर, न्यायालय को क़ानून के प्रमुख विषय और विशेष परिप्रेक्ष्य पर विचार करना होगा क्योंकि कुछ उद्देश्यों के लिए एक अधिनियम सामान्य हो सकता है और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और इस तरह के भेद को धुंधला नहीं किया जा सकता है। 1522. इस प्रकार, जहां दो कानूनों के प्रावधानों के बीच विसंगति है और दोनों को विशेष प्रकृति का माना जा सकता है, तो संघर्ष को दोनों अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति और स्पष्ट इरादे के संदर्भ में हल किया जाना चाहिए।

संबंधित की भाषा द्वारा व्यक्त विधानमंडल का

उसमें प्रावधान। (राम नारायण बनाम। शिमला बैंकिंग और

औद्योगिक कंपनी लिमिटेड [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 614], जे. के. कॉटन एस. पी. जी. & डब्ल्यूवीजी। मिल्स कं. लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170], कुमाऊँ मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड बनाम। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 785], सरवन सिंह बनाम। कस्तूरी लाल [(1977) 1 एस. सी. सी. 750], यू. पी. एस. ई. बी. बनाम। हरि शंकर जैन [(1978) 4 एससीसी 16: 1978 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 481], एल. आई. सी. बनाम। डी. जे. बहादुर [(1981) 1 एस. सी. सी. 325: 1981 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 111], अशोक एम. के. टी. जी.। लिमिटेड वी. पंजाब नेशनल बैंक [(1990) 4 एससीसी

406 : ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 855] और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम। की स्थिति

कर्नाटक [(2002) 8 एससीसी 481] "।

14.5 आर. एस. रघुनाथ बनाम के मामले में कर्नाटक राज्य (1992) सी 335, यह न्यायालय सामान्य कानून के बावजूद विशेष कानून ई विषय की प्रवर्तनीयता पर विचार कर रहा था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित पर ध्यान दियाः

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में रैफः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" एक सामान्य बाद का कानून पहले के विशेष को निरस्त नहीं करता है।

केवल निहितार्थ से एक। जनरलिया स्पेशलाइबस गैर अपमानजनक,

या, दूसरे शब्दों में, 'जहां बाद के अधिनियम में सामान्य शब्द हैं जो पहले के विधान द्वारा विशेष रूप से निपटाए गए विषयों तक विस्तारित किए बिना उचित और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग करने में सक्षम हैं, तो आप यह नहीं मानेंगे कि पहले का और विशेष विधान अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त कर दिया गया है,

ऐसा करने के लिए किसी विशेष इरादे के किसी भी संकेत के बिना, केवल ऐसे सामान्य शब्दों के बल से परिवर्तित या अपमानित किया गया। ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि केवल सामान्य मामले ही सामने आते हैं, और नहीं

विशेष मामले जिनके लिए पहले से ही अन्यथा प्रावधान किया गया है विशेष अधिनियम द्वारा "।

कि, इसके बाद इसे आगे मनाया जाता है और निम्नानुसार माना जाता है:

" महाराजा प्रताप सिंह बहादुर बनाम। ठाकुर

मनमोहन डे [ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1931: (1966) 3 एस. सी. आर. 663] इस सिद्धांत को लागू करते हुए यह माना जाता है कि सामान्य कानून केवल निहितार्थ से पहले के विशेष कानून को निरस्त नहीं करता है। एलीन लुईस निकोल बनाम। जॉन

शीतकालीन निकोल [(1922) 1 ए. सी. 284], लॉर्ड फिलिमोर ने देखा

इसके अंतर्गत: " इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सभी न्यायशास्त्रों का एक ठोस सिद्धांत है कि किसी पूर्व विशेष कानून को आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उत्तरवर्ती कानून, सामान्य शब्दों में और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया

इसकी भाषा की व्यापकता कई मामलों पर लागू होती है और जिनमें से विशेष कानून केवल एक है। यह न्यायशास्त्र के मामले के रूप में, जैसा कि इंग्लैंड में समझा जाता है, एक में निर्धारित किया गया है

और विशेष विधान को अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सामान्य शब्दों के बल द्वारा निरसित, परिवर्तित या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा करने के लिए किसी विशेष इरादे के किसी भी संकेत के बिना। [एड। : वेरा क्रूज़ मामले का हवाला देते हुए, (1884) 10 एसी 59,68] " जस्टिनियानो ऑगस्टो डी पाइडेड बैरेटो बनाम। एंटोनियो विसेंट

ओन्सेका [(1979) 3 एस. सी. सी. 47: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 984] इस न्यायालय ने टिप्पणी की

कानून जो अनिवार्य रूप से प्रकृति में सामान्य है, में विशेष शामिल हो सकते हैं

कुछ मामलों पर और इन मामलों के संबंध में यह भारत की फार्मेसी परिषद V होगी।

इसके साथ, विशेष कानून को केवल निहितार्थ से निरस्त नहीं किया जा सकता है। 15. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी के क्षेत्र में एक विशेष अधिनियम है और यह फार्मेसी के क्षेत्र में अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, फार्मेसी अधिनियम एआईसीटीई अधिनियम पर प्रबल होगा, जो, जैसा कि ऊपर देखा गया है, तकनीकी शिक्षा/संस्थानों से संबंधित एक सामान्य क़ानून है। इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. और/या संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की ओर से यह निवेदन कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम एक बाद का कानून है और "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा में इसमें "फार्मेसी" शामिल है और इसलिए इसे "निहित निरसन" कहा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनके स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में फार्मेसी अधिनियम का कोई विशिष्ट निरसन नहीं है, विशेष रूप से जब, जैसा कि ऊपर देखा गया है, फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और उसके बाद ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का अधिनियमन सामान्य है और इसलिए फार्मेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के नाते प्रबल होना चाहिए। इसके अलावा, कई पहलुओं के संबंध में, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो विशेष रूप से पी. सी. आई. के दायरे में हो। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि फार्मेसी अधिनियम का 'निहित निरसन' है।

16. अब अगला सवाल जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या फार्मेसी के क्षेत्र में, पीसीआई के पास अधिकार क्षेत्र होगा या ए. आई. सी. टी. ई. का गठन ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत किया गया है जिसे एक सामान्य कानून माना जाता है। भारतीय फार्मेसी परिषद के तहत केंद्रीय परिषद का गठन और संरचना इस प्रकार हैः

" 3. केंद्रीय परिषद का गठन और गठन। केंद्र सरकार, जितनी जल्दी हो सके, एक केंद्रीय परिषद का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्ः

(क) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य होगा।

प्रत्येक विषय के शिक्षक, औषधीय रसायन विज्ञान,

द्वारा निर्वाचित फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भारतीय विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों में से जो फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करता है;

(ख) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम चार ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा होगा, और वे फार्मेसी या फार्मेसी का अभ्यास कर रहे होंगे। केंद्र सरकार द्वारा नामित औषधीय रसायन विज्ञान; [2020] 5 एस. सी. आर.

(ग) अपने बीच से एक सदस्य का चुनाव

भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य।

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन या यदि वह किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति

ऐसा करने के लिए लिखें;

औषधि नियंत्रक, भारत, पदेन या यदि वह किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति तो;

(ई) केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक, पूर्व

अधिकारी;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि

और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के प्रतिनिधि

शिक्षा;

(छ) प्रत्येक राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा;

(ज) द्वारा नामित प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य

राज्य सरकार, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगीः

इसलिए, पी. सी. आई. में फार्मेसी के क्षेत्र में विशेषज्ञ और फार्मेसी की शिक्षा से जुड़े संबंधित विषय शामिल हैं। इसलिए, कानून के तहत, फार्मास्युटिकल, फार्मेसी आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति पीसीआई के सदस्य होंगे।

17. उपरोक्त प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है। पी. सी. आई. और ए. आई. सी. टी. ई. दोनों ही क़ानून के निर्माता हैं। इसलिए, यह बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है कि दोनों नियामकों, दोनों केंद्रीय प्राधिकरण होने के नाते, को सर्वोच्चता के लिए लड़ने की अनुमति दी जा सकती है। दोनों नियामकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शिक्षा के लिए अस्वस्थ है भारत की औषधि परिषद में दो नियामकों को कार्य करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र के साथ-साथ संस्थान।

एक ही क्षेत्र। इसलिए और विशेष रूप से जब पी. सी. आई. में फार्मेसी और अन्य संबंधित विषयों के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, तो यह फार्मेसी के क्षेत्र में व्यापक हित में है कि पी. सी. आई. को फार्मेसी के क्षेत्र में विनियमन करने की शक्ति दी जानी चाहिए। 17.1 श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया।

श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस के मामले में एआईसीटीई की ओर से की गई इसी तरह की दलीलों पर विचार करने के बाद वास्तुकला महाविद्यालय (ऊपर), यह अंततः पैराग्राफ 63 और 64 में निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" 63. हमारी राय है कि 1987 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के प्रावधानों के संबंध में, "तकनीकी" की परिभाषा

"शिक्षा" को इस तरह का निर्माण देना होगा और "वास्तुकला" शब्द को अप्रयोज्य माना जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में जहां ए. आई. सी. टी. ई. तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए अपने नियामक ढांचे का आयात करता है। हालाँकि कोई प्रतिस्थापन नहीं होगा क्योंकि संदर्भ इसकी मांग नहीं करेगा। परिभाषा खंड का यह निर्माण बाहरी रूप से आवश्यक है संदर्भ में एक अव्यवहारिक परिणाम को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता होती है

1987 के अधिनियम का कार्यान्वयन। निहित निरसन का सिद्धांत

जहाँ तक वास्तुकला से संबंधित प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं

शिक्षा का संबंध 1987 के अधिनियम के लागू होने के आधार पर है। 1972 के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है वास्तुकला पर योग्यताओं की मान्यता। [2020] 5 एस. सी. आर. का पंजीकरण।

एक वास्तुकार इस तरह के मान्यता प्राप्त अधिग्रहण पर निर्भर है

योग्यता. उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं माना जा सकता है।

शब्द के समावेश के एकमात्र कारण के लिए निहितार्थ द्वारा

" वास्तुकला "तकनीकी शिक्षा की परिभाषा में। ए. आई. सी. टी. ई. 71 कथित प्रावधानों को स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है।

1972 के अधिनियम को निहितार्थ द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

64. तदनुसार हमारा मानना है कि जहां तक वास्तुकला शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, 1972

अधिनियम प्रबल होगा। ए. आई. सी. टी. ई. किसी भी तरह की पाबंदी लगाने का हकदार नहीं होगा।

वास्तुकला के विषय में डिग्री और डिप्लोमा के संबंध में नियामक उपाय। 1972 के अधिनियम के तहत सी. ओ. ए. और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन डिग्री और डिग्री के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए।

वास्तुकला में डिप्लोमा।

18. हम श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इस न्यायालय द्वारा लिए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं।

वास्तुकला (ऊपर)। अन्यथा गुण-दोष पर भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है और माना गया है, फार्मेसी अधिनियम जो फार्मेसी के क्षेत्र में एक विशेष अधिनियम है, प्रबल होगा और इसके परिणामस्वरूप जहां तक इसकी मान्यता है -

फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा का संबंध है, फार्मेसी अधिनियम प्रबल होगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, फार्मेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित पीसीआई, जिसमें फार्मेसी और/या संबंधित विषयों के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, प्रबल होगा। नतीजतन, फार्मेसी अधिनियम के तहत पीसीआई और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान द्वारा करना होगा।

19. अब, जहाँ तक अनुच्छेद 372 पर निर्भरता रखी गई है

ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा संविधान है

संबंधित, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 372 के अनुसार, जब तक कि एक पूर्व-संवैधानिक क़ानून को विशेष रूप से निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक यह लागू रहता है। वर्तमान मामले में, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में भी फार्मेसी अधिनियम, 1948 का कोई विशिष्ट निरसन नहीं

है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, 'निहित निरसन' भी नहीं है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 372 पर निर्भरता गलत धारणा है।

20. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि फार्मेसी शिक्षा के दोहरे नियमों को देखते हुए कठिनाइयों को महसूस करने के बाद

पी. सी. आई. और ए. आई. सी. टी. ई., भारत के औषधि मंत्री परिषद के बीच एक मंत्री स्तर की बैठक।

डॉ. एस. के. तोश्नीवाल शैक्षिक विश्वास विदर्भ संस्थान। फार्मेसी [एम. आर. शाह, जे.]

पी. सी. आई. और ए. आई. सी. टी. ई. के तहत फार्मेसी शिक्षा पर दोहरे नियमों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री का 03.10.2018 पर आयोजन किया गया। स्वयं ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि बैठक के दौरान यह नोट किया गया था और यहां तक कि यह भारत संघ की ओर से पेश हुई ए. एस. जी. सुश्री पिंकी आनंद द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि बैठक के दौरान यह नोट किया गया था कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 दोनों में संबंधित प्रावधान हैं। फार्मेसी शिक्षा से विनियमों का दोहराव होता है और क्षेत्रीय स्तर पर काफी भ्रम पैदा होता है, इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति बनी कि इस दोहरे विनियम को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सामान्य तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करने वाले ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को अपने अधिदेश से 'फार्मेसी' को हटाकर संशोधित किया जाएगा और उसके बाद फार्मेसी शिक्षा को नियंत्रित किया जाएगा।

फार्मेसी अधिनियम, 1948 द्वारा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) में संशोधन प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसके बाद भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के गठन और एन. ई. पी. को अंतिम रूप देने के बाद कोई और प्रगति नहीं हुई है, जिसका फार्मेसी अधिनियम से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, भारत संघ के अनुसार भी, 'फार्मेसी' शब्द को ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (जी) में निहित 'तकनीकी शिक्षा' की परिभाषा से हटा दिया जाना चाहिए।

21. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से अब तक

फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा को मान्यता देने के लिए फार्मेसी अधिनियम, 1948 लागू होगा। पी. सी. आई. और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंड और विनियम

फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संबंधित संस्थानों को फार्मेसी अधिनियम का पालन करना होगा, जिसमें छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि और/या कमी के संबंध में मानदंड और विनियम शामिल हैं और पीसीआई के निर्णयों का पालन केवल फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान ही करेंगे। प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

22. अब अगला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह इस न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार पहले से ही भर्ती किए गए छात्रों के संबंध में है। टकराव और विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि पी. सी. आई. द्वारा इनकार करने के बावजूद, ए. आई. सी. टी. ई. ने

संबंधित संस्थानों में प्रवेश क्षमता, जिन्हें पी. सी. आई. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। अंतरिम आदेशों द्वारा, इस न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों ने उन छात्रों को परीक्षाओं में बैठने और उन्हें फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। इस तरह के अंतरिम आदेश भी [2020] 5 एस. सी. आर. बनाए जाते हैं।

अंतिम। इसलिए, वर्तमान निर्णय उन छात्रों को प्रभावित नहीं करेगा जो बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता में भर्ती हैं और/या इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों और/या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम निर्णयों और आदेशों के अनुसार। इसलिए पी. सी. आई. को ऐसे छात्रों को पंजीकरण का परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, साथ ही, प्रवेश क्षमता में वृद्धि और/या फार्मेसी में पाठ्यक्रम/संस्थानों की मान्यता और/या अनुमोदन के लिए सभी लंबित आवेदन फार्मेसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार होंगे। इसके तहत और पी. सी. आई. द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों के अनुसार। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि जिन संबंधित संस्थानों ने ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित अपनी अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि की और उनकी अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि को पी. सी. आई. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, वे आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अंतर्ग्रहण क्षमता और/या शाम की पाली में वृद्धि के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे और/या अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन और/या पाठ्यक्रम या शाम की पाली के अनुमोदन के लिए आवेदनों पर पी. सी. आई. द्वारा फार्मेसी अधिनियम, 1948 और उसमें बनाए गए नियमों और विनियमों और पी. सी. आई. द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

23. इन सभी हस्तांतरित मामलों/अपीलों/रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है। अंकित ज्ञान

माम

लों का निपटारा किया गया।